राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांकः–प.15(88)वित्त/नियम/2017 जयपुर, दिनांकः– 05 MAY 2026

स्पष्टीकरण

राज्य सरकार के कार्मिकों को एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किये जाने हेतु कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देखे जाने के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक स्पष्टीकरण दिनांक 25.03.2026 की निरन्तरता में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है किः–

1. ऐसे राज्य कार्मिक जिनकी नियुक्ति वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष (01 अप्रेल से 31 मार्च अथवा 01 जुलाई से 30 जून, जैसी भी स्थिति हो) के मध्य में होती है तथा उक्त प्रथम नियुक्ति प्रतिवेदन वर्ष में उसकी सेवा अवधि 3 माह से कम की होने पर उस प्रतिवेदन वर्ष का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नहीं भरा जाता है, जिसके कारण ऐसे कार्मिक की नियमित नियुक्ति दिनांक से 9 वर्षीय एमएसीपी देय होने की दिनांक तक केवल 8 वर्ष के ही कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध हो पाते हैं।

   अतः ऐसी स्थिति में उक्त कार्मिक के नियमित नियुक्ति वर्ष से आगामी 8 वर्षो के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध होने पर 9 वर्षीय प्रथम एमएसीपी देय होने की दिनांक से अन्य शर्तो की पूर्ति के अध्यधीन स्वीकृत की जावेगी किन्तु आगामी 18 एवं 27 वर्षीय एमएसीपी 9 वर्षो के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की उपलब्धता के आधार पर ही नियमानुसार देय होगी।

2. ऐसे राज्य कार्मिक जिनकी नियुक्ति वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष (01 अप्रेल से 31 मार्च अथवा 01 जुलाई से 30 जून, जैसी भी स्थिति हो) के मध्य में होती है तथा उक्त प्रथम नियुक्ति प्रतिवेदन वर्ष में उसकी सेवा अवधि 3 माह से अधिक की है, तो उस प्रतिवेदन वर्ष के दौरान की गई सेवा अवधि, जो 3 माह से अधिक की है, का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा आगामी 8 वर्षों के नियमानुसार वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध होने पर 8¼ से 8¾ वर्ष के ही कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध हो पाते हैं।

   अतः ऐसी स्थिति में उक्त कार्मिक के 8¼ से 8¾ वर्षो के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध होने पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक को देय प्रथम एमएसीपी अन्य शर्तो की पूर्ति के अध्यधीन स्वीकृत की जावेगी किन्तु आगामी 18 एवं 27 वर्षीय एमएसीपी 9 वर्षो के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की उपलब्धता के आधार पर ही नियमानुसार देय होगी।

3. कुछ संवर्गों के कार्मिक जिनकी नियुक्ति के पश्चात प्रथमतः एक निश्चित अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना होता है। ऐसे कार्मिकों के संबंध में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक क्रमांक प.13(51)का./क–1/गो.प्र./2022पार्ट–I/08237 दिनांक 22.05.2024

के द्वारा प्रशिक्षणरत कार्मिकों को प्रशिक्षण अवधि में सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी किये जाने तथा उक्त की प्रति संस्थान/कलेक्टर/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रशासनिक विभाग/कार्मिक विभाग को गोपनीय अभिलेख (एसीआर डोजियर) में संधारण हेतु भिजवाए जाने के निर्देश हैं। अतः प्रशिक्षण अवधि के लिए उक्त प्रमाण पत्र की गणना एमएसीपी स्वीकृति हेतु वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में की जाकर नियमानुसार एमएसीपी स्वीकृत की जावेगी।

(शिवांगी स्वर्णकार)
विशिष्ट शासन सचिव,
वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेशंनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर
10. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी।
12. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
13. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल)।
15. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

(हरीश कुमार लालवानी)
संयुक्त शासन सचिव–।

(RCS(RP)2017 –3 /2026)